न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 34/2024 बउनवानी मनोज कुमार जैन,बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार,बौंली निवासी नेहा विला महावीर मार्ग, बौंली **GCMS No-2024/77**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
31.7.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—	

1. वाके ग्राम रवासा के गत ख0न0 बाबत तहसीलदार भू0अभिलेख बौंली के पत्रांक 560 दिनांक 18.9.2012 द्वारा भूप्रबंध अधिकारी टोंक को भिजवाये गये दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे जिसमे गत पटवार लट्ठा के ख0न0 19/1 जिसमें शर्मिला, प्रीति, प्रेमलता, श्रीमती चांददेवी सोसायटी की तकासमा तरमीम हो रही है मोमिया नक्शा ट्रेस की नकल उपलब्ध करावे।
2. भूप्रबंध अधिकारी टोंक के द्वारा प्रेषित तहसीलदार बौंली को सम्बोंधित पत्रांक 15.4.2012 /2243 दिनांक 18.9.2012 की मय संलग्नक दो प्रतियां प्रमाणित उपलब्ध करावे।
3. न्यायालय मे विवादित भूमि में स्थगनादेश होने कब्जा नही होने/विवादित होने पर भी सीमाज्ञान/तकासमा,तरमीम किये जाने के प्रावधान/नियमों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी है।
4. ग्राम रवासा के ख0न0 19/1/500 के आधार पर कब्जा रिपोर्ट एवं नक्शा के आधार पर उक्त भूमि की वर्तमान स्थिति संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करावे।
5. ग्राम रवासा के पुराने ख0न0 19/1 में दिनांक 1.7.2008 व 15.10.2009 को लागू मोमिया नक्शा ट्रेस एव मूल पटवार नक्शा/लटठा पर हो रही तरमीम/तकासमा/रूपान्तरण की नकले पृथक—पृथक उपलब्ध करानी है।
6. मनोज फिलिंग स्टेशन, ग्राम बांसडा बनेसिंह, तहसील बौंली तहसीलदार कार्यालय बौंली के पत्रांक 2018/3014 दिनांक 19.2.2018 एवं पत्रांक 2017/1226 दिनांक 23.11.2017 की प्र0प्रति।
7. मनोज फिलिंग स्टेशन ग्राम बांसडा बनेसिंह तहसील बौंली, तहसीलदार कार्यालय बौंली फर्द मौका रिपोर्ट मय अतिक्रमी सूची दिनांक 1.8.2017 दिनांक 15.5.2017 अतिक्रमी सूची दिनांक 30.6.2017 दिनांक 17.5.2017 मय नजरी नक्शा एवं अतिक्रमी सूची।
8. मनोज फिलिंग स्टेशन, ग्राम बांसडा बनेसिह तहसील बौंली तहसीलदार कार्यालय बौंली पैट्रोंल पम्प हेतु रूपान्तरण पत्रावली सम्पूर्ण पत्रांक 1728 दिनांक 31.3.2004 जिला कलेक्टर कार्यालय बौंली कार्यालय 1263.44 वर्ग मीटर
9. मनोज फिलिंग स्टेशन, ग्राम बांसडा बनेसिंह तहसील बौंली तहसीलदार कार्यालय बौंली वाणिज्यिक रूपान्तरण पत्रावली सम्पूर्ण 756 वर्ग मीटर पत्रांक 3305 दिनांक 16.7.2004 उपजिला कलेक्टर कार्यालय बौंली
10. मनोज फिलिंग स्टेशन, ग्राम बांसडा बनेसिंह तहसील बौंली तहसीलदार कार्यालय बौंली न्यायालय तहसीलदार बौली(चरागाह अतिक्रमण से संबंधित धारा 91) प्रकीर्ण मामला संख्या 2639 दिनांक 7.10.2004 व निर्णय दिनांक 15.12.2004 समस्त पत्रावली।
11. मनोज फिलिंग स्टेशन, ग्राम बांसडा बनेसिंह तहसील बौंली तहसीलदार कार्यालय बौंली न्यायालय तहसीलदार बौली(चरागाह अतिक्रमण से संबंधित धारा 91) प्रकीर्ण मामला संख्या 3069 दिनांक 12.9.2005 व निर्णय दिनांक 15.10.2005 समस्त पत्रावली।
12. मनोज फिलिंग स्टेशन, ग्राम बांसडा बनेसिंह तहसील बौंली तहसीलदार कार्यालय बौंली न्यायालय तहसीलदार मलारना डूँगर (चरागाह अतिक्रमण से संबंधित धारा 91) प्रकीर्ण मामला संख्या 1094/04 दिनांक 1.12.2004 समस्त पत्रावली।
13. मनोज फिलिंग स्टेशन, ग्राम बांसडा बनेसिंह तह[illegible] के सरपंच ग्राम पंचायत कोलाडा की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र [illegible]
14. मनोज फिलिंग स्टेशन, ग्राम ब[illegible] उक्त अतिक्रमण करने बाबत पटवारी द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण [illegible] रिपोर्ट, तदनुसार तहसीलदार बौंली [illegible] किसी भी प्रकार के नोटिस दिये गये हो दिनांक 1.4.2004 से [illegible] 2022 तक की सूचना दी[illegible] अर्थात प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

15. वाके ग्राम रवासा के गत ख0न0 19/1 खाता संख्या 135 रकबा 10 बीघा में नवीन रिकार्ड सेंटलमेंट के बाद भू अभिलेख विभाग, जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा तहसीलदार कार्यालय बौंली को जिस पत्र के साथ भिजवाया गया है उस पत्र की प्रति।
16. तहसीलदार बौंली को सेंटलमेंट उपरान्त राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस इत्यादि जिस पत्र संख्या के आधार पर उपलब्ध करवाया गया उस पत्र की प्रति।
17. तहसीलदार बौली द्वारा रवासा ग्राम का सेटलमेंट का रिकार्ड पटवारी को जिस पत्र द्वारा भिजवाया गया, पटवारी हल्का में जब से लागू किया गया ? उक्त सभी पत्र व्यवहार एवं सभी डाकूमेंटस की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
18. वाके ग्राम रवासा के गत ख0न0 19/1 रकबा 10 बीघा संबंधी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत एवं दर्ज समस्त सीएमओ परिवादो/राजस्व मण्डल परिवादों/लोकायुक्त सचिवालय परिवादों में पटवारी हल्का बांस टोरडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , तहसीलदार बौंली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भेजी गयी सभी जॉ रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी है।
19. वाके ग्राम रवासा के गत खसरा नम्बर 19/1 रकबा 10 बीघा संबंधी पत्रावलिया का अवलोकन कराने हेतु अनुमति प्रदान करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2024/65 दिनांक 16.5.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 30.4.2024 के बिन्दु संख्या 3,4,5,7,15,16,17,18 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 1 की सूचना दिया जाना सम्भवा नही है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना एएसओ टोंक से प्राप्त करने के लिए तथा बिन्दु संख्या 6, 14 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण दिया जाना सम्भव नही है तथा बिन्दु संख्या 8,9 की सूचना का संबंध तहसील बौंली के कार्यालय से संबंधित नही होने से उपलब्ध नही करवायी जा सकती है बिन्दु संख्या 10 लगायत 13 की सूचना से संबंधित रिकार्ड गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दिनांक 31.5.2007 को हुई आगजनी मे जलकर नष्ट हो जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। बिन्दु संख्या 19 की सूचना से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किसी भी कार्यालय दिवस मे करने बाबत अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुका है अथवा सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूॅं, कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 3,4,5,7,15,16,17,18 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 1,2,6 की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः तीनो बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवायी जावें। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 6,14 की सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने से तथा बिन्दु संख्या 8,9 की सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित नही होने तथा बिन्दु संख्या, 10–13 की सूचना से संबंधित रिकार्ड जलकर नष्ट हो जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 19 की सूचना के लिए रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु लिखा जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में बिन्दु संख्या 1,2,6 की सूचना उपलब्ध [illegible] के निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner